उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या-44/2024/660/12-5099/51/2021

लखनऊः: दिनांकः: 21 जून, 2024

शुद्धि-पत्र

वर्ष 2024-25 से 2026-27 की अवधि हेतु अटल भूजल योजना द्वारा वित्त पोषित फसल विविधीकरण की तीन वर्षीय कार्ययोजना के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-41/2024/590/12-5099-2021, दिनांक 29 मई, 2024 के प्रस्तर-5(5.5) की अंकित तालिका को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर निम्नलिखित तालिका पढ़ा जाए :-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	दर (लाख रू० में)	प्रतिभागियों की संख्या	वित्तीय आवश्यकता (लाख रू० में)		
						2024-25	2025-26	2026-27
	क- तकनीकी कार्यमद							
1	डी०एस०आर० पद्धति से धान की बुआई (0.4 हे०/प्रदर्शन)	हे०	1000	0.05	2500	50.00	50.00	50.00
2	सुपरसीडर/हैप्पीसीडर/जीरोटिल से फसलों की बुवाई	हे०	8000	0.05	अधिकतम 2हे०/कृषक	400.00	400.00	400.00
3	लेजर लैण्ड लेवलर	हे०	4000	0.10	"	400.00	400.00	400.00
4	पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई प्रणाली का विकास (प्रति हे० 75% एवं 65% सब्सिडी)	हे०	1400(No. Of Pipe 22400)	0.22	"	308.00	308.00	308.00
5	मल्चिंग	हे०	1000	0.02	"	20.00	20.00	20.00
	योग		**15400**			**1178.00**	**1178.00**	**1178.00**
	ख- क्षमता विकास कार्यक्रम							
1	राज्य स्तरीय कार्यशाला	सं०	1	5	1000	5.00	5.00	5.00
2	जनपद स्तरीय कार्यशाला	सं०	10	1	500	10.00	10.00	10.00
3	विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	सं०	26	0.50	200	13.00	13.00	13.00
4	ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	सं०	550	0.10	50	55.00	55.00	55.00
	योग					83.00	83.00	83.00
ग	**जनपदों हेतु विविध व्यय**					**16.36**	**16.36**	**16.36**
	महायोग					**1277.36**	**1277.36**	**1277.36**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-41/2024/590/12-5099-2021, दिनांक 29 मई, 2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष बिन्दु/निर्देश यथावत रहेंगे।

विनीत प्रकाश
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
8- अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनीत प्रकाश
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।